

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

Crim I

जन फिलदा

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

कनाम

विजौलियाँ, भीलवाड़ा

फिरम मुकदमा 11-128

आगीवाल

प्रकरण संख्या 57 रान 2025

तारीख
सम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
तारीख
अहकाम जो
इस हुकम की
तामील में
जारी हुए

27/3/25

प्रार्थना-पत्र सीमे से बाद जांच पेश हुआ। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों की तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना-पत्र, विपक्षीगणों को भेजी जावें। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 27/3/2025 को वारते तलबी/जवाब पेश हों।

3
उपखण्ड अधिकारी
विजौलियाँ

27/3/25

पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दोरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 27/3/25 को रजिस्टर तामील पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी

7/4/25

पत्रावली पेश हुई। विपक्षीगणों को तामील प्राप्त। विपक्षीगणों को उबार ठामिल लगाव गई, वरन्तु वे उबर ठामिल नहीं हुआ। विपक्षीगणों के विरुद्ध छ-पक्षीय आदेश जारी किए गए। पत्रावली में पालगर्ह सुदीलदार विजौलियाँ को उहररी जारी हो, पत्रावली केंसल शुमार एंवर, उम्बर हे कम एंवर दाखिल पेश हो।

3
उपखण्ड अधिकारी
विजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 57/25

तारीख दायर 7/3/25

सुमित्रा देवी पत्नि सीताराम धाकड़ जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलियांखुर्द तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

बनाम

.....प्रार्थीया

1. भांगीलाल पुत्र गोकल जाति भील उम्र वयस्क निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. घनश्याम पुत्र कजोडलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी मकरेडी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. रमेशचन्द्र पुत्र प्रभुलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी पुरोहितो का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक 07/4/25

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक श्री मुकेश कुमार धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावेँ साथ में प्रार्थना पत्र की तार्ईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियांखुर्द को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम तिखी पटवार हल्का बिजौलियांखुर्द तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 59 पर अंकित आराजी संख्या 222/25 रकबा 1.1331 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 1.1331 हैक्टेयर भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100 /- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावेँ।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ



07/4/25

आज्ञा से
.....
उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ
जिला-भीलवाड़ा